दूरसंचार विभाग
लाइसेंसिंग सेल (मूल्यवर्द्धित सेवा समूह)
20, अशोक रोड, संचार भवन, नई दिल्ली-110001

सं0 311-80/2000-वीएएस **दिनांक**

सेवा में

(मौजूदा पीएमआरटीएस लाइसेंसधारकों के नाम)
जो डीजीटल पीएमआरटीएस प्रणाली में जाना चाहते हैं

विषय : नई दूरसंचार नीति-1999 के अधीन पीएमआरटीएस की नई लाइसेंसिंग व्यवस्था में जाने पर लाइसेंस करार सं0 ....दिनांक.............में संशोधन

महोदय,

यह पत्र सं0 311-80/2000 वीएएस दिनांक 1 नवंबर, 2001 के तहत एनटीपी-99 के अधीन नई लाइसेंसिंग व्यवस्था में अंतरण के लिए पीएमआरटीएस के लिए घोषित दिशा-निर्देशों के अनुसरण में है। उपर्युक्त लाइसेंस करार में संबंधित शर्तें निम्नानुसार 1.11.2001 से प्रतिस्थापित और संशोधित रहेंगी भले ही लाइसेंस करार में कुछ भी दिया हो। लाइसेंस करार की अन्य सभी अनुबंध व शर्तें वही रहेंगी।

1. वित्तीय शर्तें :-

देय शुल्क :

लाइसेंस शुल्क :- वार्षिक लाइसेंस शुल्क समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 5% होगा। एजीआर **अनुबंध-I** में परिभाषित है।

1.2 **बेतार स्पैक्ट्रम प्रभार :** स्पैक्ट्रम के उपयोग और बेतार टेलीग्राफी उपस्कर आदि को अधिकार में लेने के लिए बेतार स्पैक्ट्रम प्रभारों (लाइसेंस शुल्क और बेतार स्पैक्ट्रम के लिए रॉयल्टी)का भुगतान डब्ल्यूपीसी विंग को पृथक रूप से किया जाएगा। जैसा कि डब्ल्यूपीसी विंग द्वारा तय किया गया है और यह डब्ल्यूपीसी विंग द्वारा समय-समय पर किए गए परिवर्तनों के अध्यधीन है।

1.3 लाइसेंस शुल्क के भुगतान की अनुसूची :- ऊपर पैरा सं0 1.1 में लाइसेंस शुल्क के भुगतान के उद्देश्य के लिए, वर्ष 1 अप्रैल, से 31 मार्च तक बारह अंग्रेजी कैलेंडर महीनों का होगा।

व्याख्या : लाइसेंस के प्रथम वर्ष की अंतिम तिमाही और अंतिम वर्ष की अंतिम तिमाही के लाइसेंस शुल्क की गणना पूर्ववर्ती तिमाहियों जो प्रायः प्रत्येक तीन महीने की होती है, को छोड़ने के पश्चात दिनों की वास्तविक संख्या के संदर्भ में की जाएगी।

1.4 लाइसेंस शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान चार तिमाही किस्तों मे किया जाएगा। लाइसेंसधारक द्वारा वित्तीय वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों के लाइसेंस शुल्क की त्रैमासिक किस्तों का भुगतान वर्ष की संबद्ध तिमाही के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर करना होगा। लाइसेंसधारक द्वारा इस लाइसेंस शुल्क का भुगतान, लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि द्वारा शपथ-पत्र के साथ विधिवत प्रमाणित करके, बोर्ड संकल्प द्वारा प्राधिकृत सामान्य पावर आफ अटार्नी के साथ तिमाही के लिए वास्तविक राजस्व के आधार पर (प्राप्ति के आधार पर) करना होगा। तथापि, वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के लाइसेंस शुल्क का भुगतान तिमाही के लिए प्रत्याशित राजस्व के आधार पर 25 मार्च तक करना होगा, बशर्ते कि न्यूनतम भुगतान पिछली तिमाही के लिए अदा किए गए राजस्व हिस्से के बराबर हो।

1.5 त्रैमासिक भुगतान **अनुबंध-II** और **अनुबंध-II क** में दिए गए विवरण के साथ निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा जिसके साथ समायोजित सकल राजस्व का परिकलन और पिछली तिमाही के लिए देय लाइसेंस शुल्क दर्शाना होगा। प्रत्येक वर्ष के पूर्वोक्त विवरणों की कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 224 के अधीन नियुक्त किए गए लाइसेंसधारक के लेखा परीक्षक (जिसे इसके पश्चात लाइसेंसधारक का लेखापरीक्षक कहा गया है) से लेखा परीक्षा करानी अपेक्षित होगी। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट **अनुबंध-III** में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में होनी चाहिए।

1.6 लाइसेंसधारक किए गए भुगतान और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए देय वास्वतिक राशि (प्राप्ति के आधार पर) के बीच अंतर का समायोजन और भुगतान कथित तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर करेगा।

1.7 निर्धारित अवधि के बाद लाइसेंस शुल्क अथवा लाइसेंस के अंतर्गत देय कोई अन्य बकाये के भुगतान में किसी प्रकार के विलंब के कारण संबंधित कथित वित्तीय वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क के संबंध में जो दर वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल) की शुरूआत में होगी, उसी के अनुसार स्टेट बैंक आफ इंडिया की प्राइम लेंडिंग दर (पीएलआर) से 2% से अधिक दर पर ब्याज लगेगा। ब्याज मासिक रूप से मिश्रित लिया जाएगा और महीने के कुछ दिनों को ब्याज की गणना के प्रयोजनार्थ पूरा महीना के रूप में गिना जाएगा। महीना अंग्रेजी कलेण्डर के माह के रूप में माना जाएगा।

1.8 वर्ष के लाइसेंस शुल्क का अंतिम रूप से समायोजन कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार लाइसेंसधारक के लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित सकल राजस्व आंकड़ों के आधार पर होगा।

1.9 लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 7(सात) दिनों के भीतर त्रैमासिक विवरणों में दर्शाये आंकड़े और वार्षिक लेखाओं में दर्शाये आकड़ों जिसके साथ प्रकाशित वार्षिक लेखांकन और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपि तथा यथा लेखा परीक्षित तिमाही विवरण भी होगा, के बीच सामंजस्य बनाकर प्रस्तुत करना होगा। वार्षिक वित्तीय लेखा और **शर्त संख्या 1.5** में यथानिर्धारित विवरण को **अनुबंध-IV** में यथा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए तैयार करना होगा।

1.10 यदि वित्तीय वर्ष की चारों (4) तिमाहियों के लिए त्रैमासिक लाइसेंस शुल्क के रूप में अदा की गई कुल राशि में देय लाइसेंस शुल्क के 10% से अधिक तक कमी आती है तो इस पर कम भुगतान की संपूर्ण राशि का 50% का जुर्माना लगेगा। कम भुगतान की इस राशि, जुर्माना सहित का भुगतान वार्षिक लेखाओं के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में **शर्त 1.7** की शर्तों के अनुसार उस पर पुनः ब्याज लगा दिया जाएगा। तथापि, यदि वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से 60 दिनों के भीतर कम भुगतान की राशि का भुगतान 60 दिनों के भीतर कर दिया जाता है, तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा।

1.11 ऊपर **1.2** वर्णित लाइसेंस शुल्क/रॉयल्टी का भुगतान उस समय और उस प्रकार से किया जाएगा जैसा कि संचार मंत्रालय के डब्ल्यूपीसी स्कंध द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

1.12 इस लाइसेंस करार में यथा उल्लिखित संपूर्ण राशि बकाया और देय हो रही है तो उसका लाइसेंसधारक द्वारा भुगतान किसी भी राष्ट्रीय बैंक से डिमांड ड्राफ्ट अथवा पे-आर्डर के माध्यम से जो नई दिल्ली में देय हो, वेतन और लेखा अधिकारी (मुख्यालय), दूरसंचार विभाग अथवा किसी अन्य प्राधिकारी, यदि लाइसेंसदाता द्वारा ऐसा कोई पदनामित किया जाए, के पक्ष में करना होगा।

1.13 लाइसेंसदाता, अदा की गई राजस्व हिस्सेदारी का समुचित और सही-सही सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए इसके पहले और इसके बाद में लिखित इस अनुसूची की **शर्त सं0 1.5, 1.9, 3.5 और 3.6** में जो कुछ भी कहा गया है, यदि आवश्यक मानता है तो उनमें आशोधन, फेरबदल, प्रतिस्थापन और संशोधन कर सकता है।

1.14 लाइसेंसधारक अपने नेटवर्क से हुई कॉलों परंतु अन्य सेवाप्रदाता के नेटवर्क में गईं तथा समाप्त हुई कॉलों के कैरेज के लिए अलग से अभिगम प्रभारों का भुगतान करेगा। लाइसेंसधारक बीएसएनएल/एमटीएनएल/अन्य लाइसेंस सेवा प्रदाताओं से प्राप्त नेटवर्क संसाधनों के लिए भी अलग से भुगतान करेगा। यह ट्राई के आपसी करार और/या निश्चय द्वारा शासित किया जाएगा।

2.0 बैंक गारंटी

2.1 वित्तीय बैंक गारंटी

लाइसेंसधारी **अनुबंध-V** में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में किसी भी अनुसूचित बैंक या किसी सावर्जनिक वित्तीय संस्थान से एक वर्ष के लिए मान्य वित्तीय बैंक गांरटी प्रस्तुत करेगा। एफबीजी की धनराशि एक लाख रु0 या पिछले वर्ष की अंतिम दो तिमाहियों के लाइसेंस शुल्क के समतुल्य तथा अन्य भुगतान अन्यथा प्रतिभूति न हो, जो भी ज्यादा हो, होगी। वित्तीय बैंक गारंटी प्रारंभ में एक वर्ष के लिए वैध होगी और इसे इन सभी बकायों के अंतिम निपटान तक लाइसेंस करार की समूची अवधि के लिए रखा जाएगा। वित्तीय बैंक गारंटी की धनराशि लाइसेंसदाता द्वारा आविधिक समीक्षा के अध्यधीन होगी ।

2.2 स्पेक्ट्रम का उपयोग करने तथा साथ ही बेतार टेलीग्राफी उपस्कर को रखने के लिए शुल्क, प्रभार तथा रायल्टी डब्ल्यूपीसी को वित्तीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करके अलग से प्रतिभूति की जाएगी। बैंक गारंटी प्रारंभ में एक वर्ष के लिए वैध होगी और इसे इन सभी बकायों के अंतिम निपटान तक लाइसेंस करार की समूची अवधि के लिए रखा जाएगा।

2.3 लाइसेंसधारक वर्ष प्रतिवर्ष आधार पर लाइसेंसदाता से कोई मांग अथवा नोटिस प्राप्त किए बिना वित्तीय बैंक गारंटी की अवधि समाप्त होने की तारीख से न्यूनतम एक माह पूर्व समान शर्तों के लिए उसकी वैधता अवधि स्वयं बढ़ा लेगा। ऐसा करने में किसी चूक से लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन होगा और लाइसेंसदाता वित्तीय बैंक गारंटी को भुनाने और उसी के जोखिम और लागत पर लाइसेंसधारक को कोई पत्र भेजे बिना इसे नकद प्रतिभूति में परिवर्तित करने का हकदार हो जाएगा। लाइसेंसदाता द्वारा ऐसे नकदीकरण पर कोई ब्याज अथवा मुआवजा, कुछ भी हो, नहीं दिया जाएगा।

2.4 लाइसेंसदाता, लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस की निबंधन और शर्तों का किसी प्रकार का उल्लंघन किए जाने के मामले में अपने अधिकारों का प्रयोग करके किसी पूर्वाग्रह के बिना वित्तीय बैंक गारंटी/गारंटियों को भुना सकता है।

3.0 लेखाओं की तैयारी

3.1 लाइसेंसधारक सेवा के लिए स्वतंत्र लेखाओं का आहरण, रखरखाव और उन्हें प्रस्तुत करेगा और लाइसेंसदाता अथवा ट्राई द्वारा जैसा भी मामला हो, समय-समय पर जारी किए गए आदेशों , दिशा-निर्देशों अथवा विनियमों का पूर्णरूपेण अनुपालन करेगा।

3.2 लाइसेंसधारक निम्नलिखित कार्य के लिए बाध्य होगा :

(क) लाइसेंस अवधि की पूरी हुई प्रत्येक तिमाही अथवा इससे कम अवधियों जैसा लाइसेंसदाता निर्धारित करे, के संबंध में अपने करोबार में लेन-देन को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करने और व्याख्या करने, लागत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने (पूंजीगत लागत सहित) लाइसेंस के अंतर्गत लाइसेंसधारक के कारोबार की राजस्व और वित्तीय स्थिति जिसमें लगाई गई परिसम्पत्तियों का तर्कसंगत मूल्यांकन शामिल है, और राजस्व की मात्रा निर्धारित करने अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु लाइसेंसधारक के कारोबार से संबंद्ध अन्य देनदारियों से संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव और संकलन करना।

(ख) पूरे हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में तैयार किए गए उन प्रत्येक लेखांकन विवरणों के बारे में अधिप्रापण, लाइसेंसदाता द्वारा निर्धारित किए गए प्रपत्र में लाइसेंसधारक के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताना कि क्या उनके विचार से इस शर्त के प्रयोजनार्थ वह विवरण पर्याप्त है और तत्पश्चात लाइसेंसदाता को उक्त रिपोर्ट के साथ प्रत्येक लेखांकन विवरणों की प्रतिलिपि उस अवधि, जिससे वे संबद्ध हों, की समाप्ति के पश्चात संप्रेषित करना जो तीन महीने से अधिक न हो।

(ग) कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शपथ-पत्र पर शपथ का प्रमाणित विवरण, जिसमें सेवा से प्रत्येक तिमाही के अर्जित राजस्व का अलग-अलग पूर्ण लेखा विवरण और साथ में संबंधित तिमाही का भुगतान विवरण भी हो, लाइसेंसदाता को संप्रेषित करना।

3.3(क) लाइसेंसदाता अथवा ट्राई के पास जैसा भी मामला हो, इस लाइसेंस के अंतर्गत प्रदान की गई सेवा के संबंध में किए गए व्यवसाय के बारे में किसी भी लेखा बही जिसका रखरखाव लाइसेंसधारक करे, की जांच करने के लिए किसी भी समय मांग करने का अधिकार है और लाइसेंसधारक जांच के लिए उन्हें आपूर्ति करने और प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।

3.3(ख) लाइसेंसधारक निरपवाद रूप से कंपनी के विधिवत लेखा परीक्षित व अनुमोदित लेखाओं के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए सभी बिलिंग और अन्य लेखांकन रिकार्डों (इलेक्ट्रॉनिक और हार्डकॉपी) को सुरक्षित रखेगा और इस कार्य में किसी भी कोताही को किसी अन्य उल्लंघन के समान स्वतः वास्तविक उल्लंघन माना जाएगा और यह लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए पर्याप्त कारण होगा।

3.4 लाइसेंसधारक के रिकार्डों की जांच लाइसेंसदाता द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अध्यधीन होगी ताकि लाइसेंसदाता को देय उसके राजस्व हिस्सेदारी की धनराशि के स्वतंत्र सत्यापन में सुविधा रहे।

3.5 लाइसेंसदाता के विचार में जब यह आए कि प्रस्तुत किए गए विवरण अथवा लेखांकन गलत अथवा भ्रामक हैं तो वह लाइसेंसधारक के खर्च पर लेखा परीक्षक नियुक्त करके लाइसेंसधारक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने का आदेश दे सकता है और नियुक्त लेखा परीक्षक/परीक्षकों के पास वही शक्तियां होंगी जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अधीन कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों को मिली होती हैं। ऐसे लेखा परीक्षकों की परिलब्धियां, लाइसेंसदाता द्वारा जैसी भी निर्धारित की जाएंगी, वे लाइसेंसधारक द्वारा वहन की जाएंगी।

3.6 लाइसेंसदाता "विशेष लेखा परीक्षकों" द्वारा लाइसेंसधारक कंपनी के लेखाओं/रिकार्डों की "विशेष लेखा परीक्षा" भी करा सकता है जिसका भुगतान लाइसेंसदाता द्वारा निर्धारित की गई दरों पर किया जाएगा। इसे लाइसेंसधारक कंपनी वहन करेगी। यह उपर्युक पैरा **3.5** में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा की लेखा परीक्षा के स्वरूप का होगा। "विशेष लेखा परीक्षकों" को भी वही सुविधा और वही शक्तियां उपलब्ध होंगी जो कंपनी अधिनियम, 1956 में यथा परिकल्पित कंपनियों के लेखा परीक्षकों को उपलब्ध हैं।

3.7 लाइसेंसधारक, लाइसेंसदाता अथवा ट्राई द्वारा समय-समय पर निर्धारित लेखांकन मानदंडों और मार्गनिर्देशों जैसा भी मामला हो, के अनुसार कंपनी का वार्षिक वित्तीय लेखा तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेवार होगा।

3.8 **निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) :** पीबीजी भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

4.0 **लाइसेंस अवधि :** लाइसेंस करार बढ़ा दिया गया है ताकि कुल लाइसेंस अवधि लाइसेंस करार में दी गई प्रभावी तारीख से गिनने पर 20 वर्ष की हो जाए।

लाइसेंस का विस्तार :

4.1 लाइसेंसदाता, यदि उचित समझे तो लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस अवधि के 19वें वर्ष के दौरान, किए गए अनुरोध पर आपसी सहमती की शर्तों पर लाइसेंस की अवधि को एक समय में 10 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। अवधि के विस्तार के संबंध में लाइसेंसदाता का निर्णय अंतिम होगा।

5. एनालॉग से डिजीटल पीएमआरटीएस प्रणाली में अंतरण

लाइसेंसधारक को डिजीटल प्रौद्योगिकी के लिए उपलब्धता और औचित्य के आधार पर एक मेगाहर्ट्ज तक का अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी का स्पैक्ट्रम आवंटित किया जाएगा और लाइसेंसधारक को इस करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से दो वर्ष के भीतर अपने नेटवर्क को डिजीटल प्रौद्योगिकी में निश्चित रूप से अंतरित करना होगा। नेटवर्क को डिजीटल प्रौद्योगिकी में अंतरित करने में विफल होने पर लाइसेंस करार रद्द हो

जाएगा। सेवा के डिजीटल प्रौद्योगिकी में अंतरण का अर्थ होगा लाइसेंस प्रदाता को सम्यक सूचना देकर सभी उपभोक्ताओं को डिजीटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए एक प्रभावी वाणिज्यिक सेवा प्रदान करना। एक मेगाहर्ट्ज से अधिक का स्पैक्ट्रम का आवंटन उपलब्धता और आवंटन की औचित्यता के आधार पर और केवल तभी किया जाएगा जब संपूर्ण सेवा क्षेत्र को सेवा प्रदान कर दी गई हो और 10000 का उपभोक्ता आधार प्राप्त कर लिया हो।

6. सेवा क्षेत्र : (नोट : संबंधित लाइसेंस करार में केवल तत्संबंधी अंश ही लिखा जाना है)

6.1 लाइसेंस का सेवा क्षेत्र लाइसेंस करार के अनुसार तय किया जाएगा। उक्त क्षेत्र की भौगोलिक सीमा उस विशेष सेवा क्षेत्र के लिए प्रदान किए गए लाइसेंस के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(क) मेट्रो सेवा क्षेत्र : पीएमआरटीएस लाइसेंस के लिए मेट्रो सेवा क्षेत्र निम्नानुसार होगा :

1	मुंबई मैट्रो सेवा क्षेत्र	मुंबई, नवी मुंबई और कल्याण टेलीफोन एक्सचेंजों के द्वारा सेवा प्रदान किये जाने वाला लोकल सेवा क्षेत्र।
2	दिल्ली मैट्रो सेवा क्षेत्र	दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुडगांव टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा सेवा प्रदान किये जाने वाला लोकल क्षेत्र
3	कोलकाता मैट्रो सेवा क्षेत्र	कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा सेवा प्रदान किये जाने वाला लोकल क्षेत्र

(ख) सर्किल सेवा क्षेत्र (मेट्रो क्षेत्रो को छोड़कर) के लिए

क्र0सं0	**दूरसंचार सर्किल/ महानगर सेवा क्षेत्र का नाम**	**कवर किए गए क्षेत्र**
01	प0 बंगाल	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र तथा कोलकाता महानगर सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कवर होने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र।
02	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का येनुम क्षेत्र
03	असम	असम राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
04	बिहार	दिनांक 25 अगस्त, 2000 के बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (सं0 2000 का 30) के अनुसरण में नवनिर्मित झारखंड राज्य तथा पुनर्गठित बिहार राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
05	गुजरात	गुजरात राज्य तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र, सिल्वासा (दादर एवं नागर हवेली) के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
06	हरियाणा	फरीदाबाद एवं गुड़गांव टेलीफोन एक्सचेंजों के अंतर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्रों को छोड़कर, हरियाणा राज्य के अंतर्गत पड़ने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
07	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।

08	जम्मू एवं कश्मीर	लद्दाख के स्वायत्त परिषद सहित जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
09	कर्नाटक	कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
10	केरल	केरल राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र - लक्षद्वीप एवं मिनिकॉम के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
11	मध्य प्रदेश	दिनांक 25 अगस्त, 2000 के मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (सं0 : 2000 का 28) के अनुसरण में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य तथा पुनगर्ठित मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
12	महाराष्ट्र	मुम्बई महानगर सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, गोवा संघ राज्य क्षेत्र तथा महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
13	पूर्वोत्तर	अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्यों के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
14	उड़ीसा	उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
15	पंजाब	पंजाब राज्य एवं चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
16	राजस्थान	राजस्थान राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
17	तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य एवं पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र जिसमें पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का येनुम क्षेत्र शामिल नहीं है।
18	उत्तर प्रदेश पश्चिम	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे समीपवर्ती निम्नलिखित जिले : पीलभीत, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी एवं एटावा। इसमें गाजियाबाद एवं नोएडा के स्थानीय टेलीफोन क्षेत्र शामिल नहीं होंगे।
19	उत्तर प्रदेश पूर्व	पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र जिसमें क्रम सं0 18 में निर्दिष्ट स्थान शामिल नहीं है।

यह शर्त होगी कि सर्किल सेवा क्षेत्र में पीएमआरटीएस लाइसेंस के लिए ऊपर 6.1 (ख) के तहत फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम का आवंटन पूर्णतः उस विशेष सेवा क्षेत्र में फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। पीएसटीएन कनेक्टिविटी में डायरेक्ट इन डायलिंग प्रतिबंधित है।

6.2 सर्किल सेवा क्षेत्र के लिए फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम के आवंटन पर विचार सर्किल के समूचे सेवा क्षेत्र में स्पैक्ट्रम उपलब्धता होने पर किया जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि संपूर्ण सर्किल सेवा क्षेत्र में कुछ चैनल सभी स्थानों/शहरों में उपलब्ध न हों।

6.3 पीएमआरटीएस लाइसेंसधारक को नगर सेवा क्षेत्र से सर्किल सेवा क्षेत्र में अंतरित होने पर अंतराशहर अंतरशहर कनेक्टिविटी के लिए माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ सकती है। इन फ्रीक्वेंसियों की सुपुर्दगी उपलब्धता और मौजूदा प्रयोक्ताओं के साथ सफल समन्वय की शर्त पर होगी।

6.4 क्षेत्र के बारे में किसी संशय के मामले में, स्पष्टीकरण लाइसेंस प्रदाता से लिया जा सकता है और दिया गया स्पष्टीकरण लाइसेंस पर बाध्यकारी होगा।

7.0 **अंतरसंयोजन**

(क) पीएसटीएन कनेक्टिविटी की अनुमति एनालॉग प्रणाली के लिए 5 (पांच) आरएस चैनलों (प्रत्येक 25 किलोहर्ट्ज का) हेतु एक पीएसटीएन लाइन तक की केवल एक लाइसेंस प्राप्त अभिगम सेवा प्रचालक को दी जाएगी।

(ख) पीएसटीएन कनेक्टिविटी की अनुमति 10,000 ग्राहकों तक डिजीटल प्रणाली के लिए एक ई-1 लिंक (30 सर्किटों) तक की और इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त 10,000 या इनमें से बचे ग्राहकों के लिए एक अतिरिक्त ई-1 लिंक (30 सर्किटों) तक की केवल एक लाइसेंस प्राप्त अभिगम सेवा प्रचालक को दी जाएगी।

(ग) पीएसटीएन कनेक्टिविटी में प्रत्यक्ष डायलिंग प्रतिबंधित है।

(घ) अंतःस्थल कनेक्टिविटी - अंतर स्थल कनेक्टिविटी की अनुमति पीएमआरटीएस सेवा प्रदाताओं को लाइसेंसयुक्त क्षेत्र के भीतर उनके अपने स्थलों के बीच ही होगी।

8. अन्य सेवा प्रदाता के नेटवर्क के साथ अंतरसंयोजन आपसी व्यवस्था द्वारा किया जा सकता है। अंतरसंयोजन परीक्षण समयावधि आपसी सहमति से तय होगी। इन परीक्षणों के लिए लाइसेंसधारक द्वारा पर्याप्त समय 30 दिन से कम नहीं दिया जाएगा।

9. अन्य नेटवर्कों के साथ अभिगम या अंतरसंयोजन के प्रभार सेवा प्रदाताओं के बीच आपसी करारों के आधार पर ट्राई अधिनियम,1997 के अधीन ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी किसी अवधारण, विनियम, आदेश या निदेश के अनुपालन के सशर्त निर्धारित किए जाएंगे।

10. सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से पीएमआरटीएस लाइसेंसधारक स्वयं का उपस्कर स्थापित करेगा ताकि यह उपस्कर जिस सेवा/अभिगम प्रदाता के साथ अंतरसंयोजन का इच्छुक है उसके उपस्कर के अनुरूप हो।

11. पीएमआरटीएस लाइसेंसधारक लाइसेंसप्रदाता अथवा ट्राई द्वारा समय-समय पर दिए गए ऐसे अन्य निर्देशों के अधीन नेटवर्क-नेटवर्क इंटरफेस के संबंध में सेवा प्रदाताओं के बीच आपसी सहमति पर गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करते हुए लाइसेंसीकृत नेटवर्क का प्रचालन और रखरखाव करेगा। लाइसेंसधारक अथवा उसके फ्रेंचाइजी की ओर से ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता अनुबंधों और टीईसी के नेटवर्क-नेटवर्क मानदंडों को पूरा करने में विफलता को लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।

12. सुरक्षा की दृष्टि से, लाइसेंसधारक द्वारा अपनी ही लागत पर, जब भी आवश्यकता हो, मॉनीटरिंग के लिए ऐसा उपयुक्त मॉनीटरिंग उपस्कर प्रदान किया जाएगा जैसा कि प्रयुक्त प्रणाली की प्रत्येक किस्म के लिए लाइसेंसप्रदाता द्वारा निर्धारित किया गया हो।

13. **लाइसेंस का हस्तांतरण**

लाइसेंसधारक लाइसेंस करार को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए लाइसेंस प्रदाता के पूर्व लिखित अनुमोदन से हस्तांतरित या सुपुर्द कर सकता है :-

(i) जब हस्तांतरण या सुपुर्दगी का अनुरोध लाइसेंस प्रदाता, लाइसेंसधारक और ऋणदाता के बीच हुए त्रिपक्षीय करार की कार्यवाही के अनुपालन संबंधी अनुबंध व शर्तों के अनुसार किया गया हो ; अथवा

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराएं विशेषतः 391 से 394 तक के अनुबंधों के अनुसार समामेलन या पुनरसंचरण अर्थात् विलयन या अविलयन की मंजूरी हो और प्रवर्तित कानून के अनुसार उच्च न्यायालय या अधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया हो ;

(iii) यदि हस्तांतरणी/समनुदेशिदी उस क्षेत्र में ताजा लाइसेंस की निविदा शर्तों या इसके किसी अन्य दस्तावेज़ में निहित अर्हता संबंधी मानदंडों के अनुसार पूरी तरह से योग्य हो और उसने पूर्व के व भविष्य के रॉल आऊट दायित्वों सहित लाइसेंस करार की अनुबंध व शर्तों के अनुपालन के लिए लिखित में इच्छा व्यक्त की हो ; और

(iv) हस्तांतरण/समनुदेशन की तारीख तक हस्तांतरक कंपनी द्वारा सभी पूर्व की बकाया राशियों का भुगतान कर दिया गया हो और इसके पश्चात हस्तांतरणी कंपनी बाहर हुई कंपनी द्वारा विगत में भुगतान न किए गए बकायों सहित सभी भावी देयों का भुगतान करने के लिए वचनबद्ध हो।

14. पीएमआरटीएस प्रदाता सेवा क्षेत्र के भीतर बिना किसी भेदभाव किसी भी व्यक्ति को सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्य है।

15. लाइसेंसधारक सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त सभी अवसंरचना के लिए अपनी स्वंय की व्यवस्था करेंगे और आवश्यक उपस्कर व प्रणालियों की संस्थापना व प्रचालन के लिए, उपभोक्ता शिकायतों के निपटान, अपने उपभोक्ताओं को बिल जारी करने, राजस्व इकट्ठा करने, उनके प्रचालनों से संबंधित दावों और नुकसानियों के लिए अकेले ही उत्तरदायी होंगे।

16. लाइसेंसधारक अपने नेटवर्क में भारी भरकम एन्क्रिप्शन उपस्कर नहीं लगाएगा। तथापि यदि एन्क्रिप्शन उपस्कर प्रयोग किया गया है और लाइसेंसधारक के नेटवर्क में जोड़ा गया है तो इसके लिए पूर्वमूल्यांकन और सरकार से लिखित अनुमोदन लेना होगा।

17. लाइसेंसधारक सरकार को निश्चित समय पर विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ताकि जासूसी, विध्वंसात्मक क्रियाकलापों, तोड़फोड या किसी अन्य गैर कानूनी क्रियाकलाप को रोका जा सके। लाइसेंसधारक, लाइसेंसप्रदाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को मांग पर, तकनीकी छानबीन के लिए स्विचिंग केंद्रों, ट्रांसमिशन, केंद्रों इत्यादि और निरीक्षण, दृश्य निरीक्षण और प्रचालन निरीक्षण के लिए पूरे साधन उपलब्ध कराएगा।

18. सभी विदेशी कार्मिक, जिन्हें लाइसेंसधारक के नेटवर्क की संस्थापना, प्रचालन और रखरखाव के लिए, लाइसेंसधारी द्वारा तैनात किए जाने की संभावना है, को तैनाती से पहले सरकार से सुरक्षा की दृष्टि से अनापत्ति प्रदान की जाएगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, जो इस संबंध में मानक कसौटी अपनाएगा।

19. लाइसेंसधारी संचार की गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि संदेशों का अनाधिकृत अंतरावरोधन न हो।

20. पीएमआरटीएस लाइसेंसधारक समय-समय पर यथा संशोधित ट्राई अधिनियम, 1997 के तहत ट्राई द्वारा जारी किसी भी आदेश या निवेश या संकल्प या विनियम का अनुपालन करेगा।

21. लाइसेंसप्रदाता को भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी किसी निदेश के अनुसार आपात स्थिति में/युद्ध या कम प्रभाव डालने वाले संघर्ष या किसी अन्य घटना की स्थिति में लाइसेंसधारक (आंशिक रूप में अथवा सेवा क्षेत्र में समग्र रूप से) से सेवा, उपस्कर और नेटवर्क को वापिस लेने का अधिकार है। ऐसी दशाओं के तहत भारत सरकार द्वारा जारी कोई विशिष्ट आदेश अथवा निदेश लाइसेंसधारी पर लागू होगा और उसका कठोरता से पालन किया जाएगा।

22 लाइसेंसप्रदाता के पास इन शर्तों को आशोधित करने अथवा नई शर्तें शामिल करने का अधिकार होगा, यदि यह देश की अधिकार सुरक्षा और जनहित में अथवा टेलीग्राफ के समुचित प्रावधान के लिए आवश्यक हो।

23. लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा की गई दूरसंचार संस्थापना सुरक्षा दृष्टि से जोखिमपूर्ण न हो और किसी संविधि, नियम अथवा विनियम और लोक नीति के विरूद्ध न हो।

24. लाइसेंसधारक, देश के स्थापित कानूनों का पालन करते हुए अपने नेटवर्क से किसी भी रूप में विवादित, अश्लील, अप्राधिकृत अथवा कोई अन्य विषय-वस्तु, संदेश और संचार जो कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा इत्यादि का किसी भी रूप में उल्लंघन करता हो, को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। प्रवर्त्तन एजेंसियों द्वारा ऐसे उल्लंघन संबंधी किसी विशिष्ट अवसर की एक बार लाइसेंसधारी को रिपोर्ट करने के बाद, लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नेटवर्क से ऐसी सामग्री का परिचालन तत्काल रोका जाए। लाइसेंसधारक बिना किसी विलंब के अपने उपस्कर और नेटवर्क के माध्यम से भेजे जाने वाले अशांति फैलाने वाले, कष्टप्रद या विद्वेषपूर्ण कॉलों, संदेशों या संचार का पता लगाने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जब ऐसी सूचना अपराधों की जांच या पता लगाने के लिए तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आवश्यक हो। इस संबंध में लाइसेंसधारक की विफलता के कारण उत्पन्न किसी भी क्षति का भुगतान लाइसेंसधारक करेगा।

25. यदि कोई गोपनीय सूचना करार के समुचित कार्यान्वयन के लिए लाइसेंसधारक को दी जाती है तो लाइसेंसधारक और इसके कर्मचारियों, एजेंटों तथा सेवकों के लिए इसकी गोपनीयता कायम रखना बाध्यकारी होगा।

26. आवेदन या लाइसेंस, यदि दिया गया है, से संबंधित सभी मामले दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण (टीडीएसएटी) के न्यायाधिकरण में होंगे।

27 **सेट ऑफ क्लॉज :**

27.1 यदि कोई धनराशि अथवा दावा लाइसेंसधारक से लाइसेंसदाता को इस लाइसेंस करार के लिए अथवा अन्यथा किसी रूप में देय हो जाता है तो ऐसी धनराशि अथवा दावे को (विधि द्वारा दिए गए अथवा लगाए गए किसी प्रतिदावे के लिए सेट ऑफ संबंधी किसी अधिकार को प्रतिबंधित किए बिना) तब देय अथवा इस लाइसेंस करार या अन्य करार अथवा लाइसेंसदाता तथा लाइसेंसधारक के बीच किसी अन्य करार अथवा ठेके के अंतर्गत तत्पश्चात किसी समय लाइसेंसधारक को देय होने वाली किसी राशि अथवा धनराशि में से घटा लिया जाएगा अथवा समयोजित कर दिया जाएगा।

27.2 लाइसेंसधारक कंपनी को भुगतान की जाने वाली पूर्वोक्त धनराशि में कोई मूल्यवान प्रतिभूति जिसे धनराशि में परिवर्तित किया जा सके, शामिल होगी।

27.3 सेट ऑफ संबंधी अधिकार का प्रयोग करने के पश्चात, लाइसेंसदाता ऐसी कार्रवाई की सूचना लाइसेंसधारक कंपनी को लिखित रूप में तुरंत स्पष्ट रूप से देगा।

28. लाइसेंस करार की अन्य अनुबंध व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

सहायक निदेशक (वीएएस-II)
भारत के राष्ट्रपति के लिए और की ओर से

नाम :
पदनाम :

मै0 के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

गवाह :
1. ....
2. ....

नोट : लाइसेंसधारक कंपनी का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता लाइसेंस के संशोधित अनुबंध व शर्तों की स्वीकृति में इस दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। (कंपनी की रबर की मुहर व सामान्य मुहर के साथ) । एक हस्ताक्षरकृत प्रति रखी जाए और दूसरी हस्ताक्षरकृत प्रति लौटाई जाए।

राजस्व की परिभाषा

1. राजस्व के प्रतिशत के रुप में लाइसेंस शुल्क की उगाही के लिए समायोजित सकल राजस्व में निम्न को छोड़कर सकल राजस्व शामिल होगा।

(i) अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं जिसका नेटर्वक, लाइसेंस धारक के नेटवर्क से अन्तर्सयोंजित है को देय पास थ्रू नेचर का प्रभार,

(ii) सरकार को वास्तव में भुगतान किया गया सेवा कर और विक्रय कर, यदि सकल राजस्व में सेवा कर / विक्रय कर के अंश को शामिल किया गया।

2 सकल राजस्व में माल आपूर्ति, दी गई सेवा अवसंरचना को पट्‌टे पर देने ,किराए पर देना, दूसरों के द्वारा इसके संसाधनों का प्रयोग, आवेदन शुल्क, संस्थापना प्रभार, कॉल प्रभार, विलम्ब शुल्क, उपस्करों की बिक्री सहायक सहित कोई अन्य टर्मिनल इक्विपमेंट) वार्षिक रखरखाव अनुबंध के कारण शुल्क, मूल्य वर्धित सेवा से आय, अनुपूरक सेवाएं, अन्तर्सयोजन प्रभार आदि के कारण लाइसेंस से प्राप्त सारे राजस्व शामिल होगे और ब्याज, लाभांश आदि सहित अन्य विविध मद, व्यय आदि से संबंधित मद के बढ़ाए बिना सम्मिलित होगी।

शपथ-पत्र

मैं..आयु लगभग..................वर्ष पुत्र श्री............................ निवासी.......................................शपथ लेता हूँ और निम्नानुसार घोषणा करता हूँ :

1. कि मैं.......................,......................................(कंपनी का नाम) का .... सेवा का लाइसेंसधारक हूँ और मैं कंपनी ....(कंपनी का नाम) के नाम पर शपथ-पत्र देने के लिए इस कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक........................को पास किए गए संकल्प के तहत विधिवत प्राधिकृत हूँ ।

2. कि भाग...............................की अनुसूची................................की शर्त सं0.............. के अनुपालन में और कंपनी तथा दूरसंचार विभाग के बीच हुए लाइसेंस करार सं0........................... के अनुबंध........................के अनुपालन में, लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए, ...रु0 (रुपऐ....................................) का भुगतान.......................से ....तक की अवधि के लिए किया जा रहा है।

3. "राजस्व" और लाइसेंस शुल्क के परिकलन का विवरण अनुबंध.......................(संलग्न) के अनुसार दिया गया है।

कि पैरा 1 व 2 और अनुबंध की विषय-वस्तु मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है तथा कंपनी के रिकार्ड पर आधारित है।

अभिसाक्षी

सत्यापन

स्थान.....................में दिनांक....................को यह सत्यापित किया गया कि ापथ-पत्र के पैरा 1 से 3 तथा अनुबंध की विषय-वस्तु मेरी जानकारी में सत्य और सही है इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

अभिसाक्षी